अज अदालत लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी), शिवगंज

बइजलास भागीरथ राम, आर0ए0एस0

अपीलान्ट — **बनाम** — **रेस्पोंडेंट**

1. वालाराम पुत्र स्व. हजारीमलजी, आयु बालिग, जाति सुथार, निवासी हरजी, तहसील आहोर, जिला जालोर (राजस्थान) बहैसियत स्वयं एवम् बहैसियत आम मुख्त्यारः–
2. श्रीमती जरावीदेवी धर्मपत्नी स्व. हजारीमलजी, आयु बालिग
3. गजाराम पुत्र स्व. हजारीमलजी, उम्र बालिग
4. ज्योति पुत्री स्व. हजारीमलजी, उम्र बालिग, जातिगण सुथार, निवासीगण हरजी, तहसील आहोर, जिला जालोर (राजस्थान)

1.सरपंच ग्राम पंचायत मनादर, पंचायत समिति शिवगंज
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज जिला सिरोही

अधिवक्ता श्री मूलसिंह देवड़ा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956
राजस्व अपील संख्या–03/2021

: निर्णय :

दिनांक 23.09.2022

अपीलाण्ट ने अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम एवं अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध आदेश दिनांक 20.05.2004 नामान्तरकरण संख्या 2452 ग्राम पंचायत–मनादर पेश कर निवेदन किया है कि मौजा मनादर–2 तहसील शिवगंज में स्थित खसरा नम्बर 1796/26 (पूर्व के मूल खसरा नं. 1796 में से 12 बीघा) 12 बीघा कृषि भूमि परीक्षीतसिंह पुत्र छतरसिंहजी राजपूत, निवासी हरजी, तहसील आहोर, जिला जालोर बहैसियत मुख्तयार आम इन्दुकमारी, तनमन कुमारी, नीलम कुमारी पुत्रीयां श्री छतरसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी हरजी, तहसील आहोर, जिला जालोर (राजस्थान) वालों से प्रतिफल रकम अदा कर खरीद की थी, जिसका बेचान दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय शिवगंज में दिनांक 11.05.2001 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं. 184 में पृष्ठ संख्या 55 कम संख्या 455 पर पंजीबद्ध किया हुआ है। इस विक्रय विलेख के आधार पर पटवारी हल्का मनादर–2 द्वारा दिनांक 17.04.2004 को अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण भर कर भू–अभिलेख निरीक्षक मांडानी के समक्ष जांच हेतू पेश किया, जिसकी जांच भू–अभिलेख निरीक्षक मांडानी ने दिनांक 17.04.2004 को नामान्तरकरण के अंकन के बाद जांच इन्द्राज सही पाया तथा बाद जांच नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु ग्राम पंचायत मनादर के समक्ष पेश करने हेतु भिजवा दिया। दिनांक 20.05.2004 को रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत मनादर ने उक्त नामान्तरकरण संख्या 2452 को बिना किसी उचित कारण के गोचर भूमि होना बताकर बिना अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना अस्वीकृत कर दिया। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर, अपीलाधीन नामान्तरकरण अस्वीकृति का आदेश निरस्त फरमा कर नामान्तरकरण संख्या 2452 जैर अपील स्वीकृत किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि अपीलांट के पति/पिता स्व0 हजारीमलजी का स्वर्गवास 9 वर्ष पूर्व होने एवं अपीलांट के पति/पिता श्री हजारीमल जी कम पढे लिखे होने एवं राजस्व नियमों की जानकारी से अनभिज्ञ होने, राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी प्राप्त नहीं करने तथा कब्जा काश्त करने से नामांतरकरण की जानकारी नहीं ली गई। अतः अपीलांट के पति/पिता श्री हजारीमल जी स्वर्गवास के पश्चात राजस्व रेकर्ड में उनके पति/पिता के जगह उनके नाम से फौतेदगी नामांतरकरण दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का मनादर से संपर्क किया गया तब अपीलांट को जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त नामांतकरण ग्राम पंचायत मनादर द्वारा खारिज किया गया है अतः देरी के लिए कन्डोन फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.12.22 12:15:21 IST
Reason: SelfAttested

हमने अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को सम्मन जारी किये। रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो को सम्मन बावजूद तामील होने पर भी उपस्थित नहीं होने एवं समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर दिनांक 23.09.2022 को उनका जवाब बंद किया गया। अपीलाण्ट अधिवक्ता की एक तरफा बहस आज दिनांक 23.09.2022 को सुनी गई। अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा बहस में जाहिर किया गया कि अपीलार्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के आधार पर जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज के उपरोक्त आराजी को क्रय किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पंहुचें कि मौजा मनादर–2 पटवार हल्का मनादर–2 तहसील शिवगंज में स्थित खसरा नम्बर 1796 रकबा 12 बीघा भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत मनादर द्वारा खारिज नामान्तरकरण संख्या 2452 को अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना गोचर भूमि बताकर खारीज किया गया। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 2452 आदेश दिनांक 20.05.2004 के जरिये नामान्तरकरण खारीज किया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तो के विरुद्ध है।

अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम व अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत मनादर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2452 आदेश दिनाक 20.05.2004 में बिना किसी जांच एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किये जाने से उक्त नामान्तरकरण संख्या 2452 आदेश दिनांक 20.05.2004 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार शिवगंज को रिमांड किया जाता है कि संबंधित पक्षकारानों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

आज दिनांक 23.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

क्रमांक 790 23/9/2022

(भागीरथ राम)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

प्रतिलिपि पालनार्थ :–
तहसीलदार, शिवगंज

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.12.22 12:15:21 IST
Reason: SelfAttested